



संख्या :- 76

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक :- 4/6/18.

भमुआ.01.1.19 के अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य 01 मितम्बर से प्रारम्भ हो रहा है। जिसे लेकर सोमवार को प्रक. बेंकुर का अफ़्जिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुआ। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के तैयारी के लिए पुनरीक्षण पूर्व जातिविधियों के रूप में 15 मई से 15 जून तक मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (वी.पल.ओ.) के द्वारा घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। बेंकुर में डॉ. प्रम. डॉ. नवल ^{किशोर} चौधरी ने कहा कि उक्त सर्वे कार्य को विशेष अभियान के रूप में लेते हुये दिनांक 6 तः 8 मई तक वी.पल.ओ. घर-घर जाकर पंजी के साथ भ्रमण कर सर्वे करेंगे। बेंकुर में प्रबन्ध नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रखंड भ्रमण में वी.पल.ओ. के कार्यों की सतत निगरानी कर उन्हें अपने क्षेत्र के सभी घरों का सर्वे करने के लिए प्रेरित करेंगे। वी.पल.ओ. रजिस्टर निर्वाचक सूची में पंजीकरण से वंचित निर्वाचकों का नाम (जिनका जन्म 1.1.2000 से पहले था तक) जो 1.1.18 की अर्हता तिथि को निर्वाचक बनने की अर्हता रखते हैं, उनसे प्रपत्र-6 प्राप्त करेंगे, दिनांक-1.1.19 की अर्हता तिथि निर्वाचक सूची में पंजीकरण की अर्हता प्राप्त करने वाले भावी युवा निर्वाचकों की सूची तैयार करना, मतदाता सूची में मृत, दोहरी प्रविष्टी, स्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं की सूची तैयार करना और मतदाता सूची में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टी वाले मतदाताओं की सूची (नाम, लिंग, उम्र आदि) के लिए फार्म चार प्राप्त करना है। डॉ. प्रम. डॉ. चौधरी ने कहा कि वी.पल.ओ. का संवैधानिक कार्य दायित्व का निर्वहन जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, कैमूर (भमुआ) करना है। बेंकुर में नोडल पदाधिकारी रमेश चंद्र चौधरी, मोहनियाँ प्रम.डी.ओ. शिवकुमार राउत, भमुआ प्रम.डी.ओ. अनुपम सिंह

प्रम.डी.ओ. शिवकुमार राउत, भमुआ प्रम.डी.ओ. अनुपम सिंह
 प्रम.डी.ओ. रमेश चंद्र चौधरी, मोहनियाँ
 प्रम.डी.ओ. अरवि शर्मा, भमुआ
 प्रम.डी.ओ. अरवि शर्मा, भमुआ



संख्या :- 75

प्रेस विज्ञापित

दिनांक :- 4/6/18

भभुआ. सभी कार्यालयों और विभागों के प्रधान सहायक के साथ लगा कर में बैठकर जिला पदाधिकारी डा० नवल किशोर चौधरी ने कार्यालय कार्य निष्पादन तथा न्यायलवाद (सी० उब्बू जे० सी०/पम० जे० सी०) के सम्बंध में दिशा निदेश दिया। न्यायलय वाद के सम्बंध में उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर विषय वस्तु की जमीरता से देखते हुये पटल कर डल करने की कार्रवाई करें और तैयार होने की तिथति में किसी शिका से सम्पर्क करें। कार्यालय प्रणाली के सम्बंध में डी. पम. डा० चौधरी ने आगत निर्गत, प्राप्त पंजी और इंडेक्स रजिस्टर में जानकारी देते हुये इन पंजियों के रख-रखाव एवं व्यवहार की बातें बतायी। बैठक में जिला विधिक शाखा के प्रभारी पदाधिकारी अशोक कुमार ने लगभग 25 कार्यालयों के लगभग 160 सी० उब्बू जे० सी० और पम० जे० सी० के सम्बंध में सम्बंधित प्रधान सहायकों से तिथति का मूलांकन कर तथ्य विवशी दायित्व करने और शपथ पत्र को ^{करने} जानकारी प्राप्त कर दिशा निदेश दिया। बैठक में बताया गया कि सर्वाधिक मामले पुलिस अधीक्षक के पथ के 34, शस्त्र दण्डाधिकारी के पथ 6, डी.पी.ओ. (स्थापना) शिक्षा विभाग के 6 और डी.पी.ओ., डी.प.ओ., सिविल सर्जन 4 मामले, रकन, वाणिज्य कर उत्पायक, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ 5 मामले, पम. डी.ओ. भभुआ/मोटियाँ, पम. डी.पी.ओ. मोटियाँ एवं अंचलाधिकारी गुआँव, कुयरा, चाँद, रामगढ़, भगवापुर आदि कार्यालयों के कोर्ट मामलों की समीक्षा की गयी। बैठक में स्थापना उपमार्ग रमेश चंद्र चौधरी ने लोक शिकायत निवाण अधिकार अधिनियम का समीक्षा कर बताया कि चैतपुर अंचल के 6, मोटियाँ अंचल कार्यालय के 8, रामपुर अंचल के 20 रामगढ़ अंचल के 18 और कुयरा के अंचल के 13 मामले निष्पादन के लिये लंबित हैं जिन्हें शीघ्र डल करना है। बैठक में जिला स्थापना शाखा जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के प्रधान सहायक जयप्रकाश रकरवार, विधी शाखा के प्रधान सहायक जर्नादन पांडेय आदि मौजूद थे।

4/6/18
 डी.पी.आर.ओ.